रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 2008/ज्येष्ठ 2, 1930

No. 706] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 2008/JYAISTHA 2, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2008

का.आ. 1204(अ).—केंद्रीय सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) ने परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 33) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सभा और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के लिए राज्यक्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और समायोजन करने के लिए अपनी अधिसूचना संख्यांक का.आ. 741(अ), तारीख 12 जुलाई, 2002 द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया है;

और आयोग की अवधि को समय-समय पर विस्तारित किया गया था और अंतिम बार इसे 31 जुलाई, 2008 तक विस्तारित किया गया था;

और परिसीमन आयोग ने 25 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत परिसीमन कार्य पूरा कर लिया है और उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत अंतिम आदेश प्रकाशित कर दिए हैं;

और उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत (झारखंड राज्य के सिवाए) परिसीमन अधिनियम के अधीन जारी किए गए उक्त आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 82 के दूसरे परंतुक और अनुच्छेद 170 के खंड (3) के दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, आदेश संख्या का.आ. 382(अ) तारीख 19 फरवरी, 2008 द्वारा प्रभावी किए गए थे;

और परिसीमन आयोग के अध्यक्ष ने परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन कार्य पूरा कर लिए जाने के बारे में केंद्रीय सकार को सूचित किया है और 31 मई, 2008 से अध्यक्ष के पद का त्याग करने का आशय व्यक्त किया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा (6) के साथ पठित उसकी धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जून, 2008 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसको परिसीमन आयोग अस्तित्व में नहीं रहेगा :

परंतु परिसीमन विषयों की बाबत परिसीमन आयोग के विरुद्ध किसी न्यायालय में लम्बित सभी मामले और विधिक कार्यवाहियां उसके अस्तित्व में न रहने के पश्चात् भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निपटाई जाएंगी ।

[फा. सं. एच-11019(11)/2002-वि. 2]

टी. के. विश्वनाथन, विधि सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2008

S.O. 1204(E).—Whereas, the Central Government in the Ministry of Law and Justice (Legislative Department) has, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), constituted the Delimitation Commission vide its notification number S.O. 741(E), dated the 12th July, 2002 for carrying out the delimitation and readjustment of territorial constituencies for the House of the People and the Legislative Assemblies of the States/Union territories;

And, whereas, the term of the Commission was extended from time to time and last extended up to 31st July, 2008;

And, whereas, the Delimitation Commission has completed the delimitation work in respect of 25 States/Union territories and published final Orders in respect of those States/Union territories;

And, whereas, the said Orders issued under the Delimitation Act in respect of those States/Union territories (except the State of Jharkhand) were made effective by the President of India in terms of the provisions contained in the second proviso to Article 82 and the second proviso to clause (3) of Article 170 of the Constitution vide Order number S.O. 382(E), dated the 19th February, 2008;

And, whereas, the Chairperson of the Delimitation Commission has informed the Central Government about the accomplishment of the delimitation work by the Delimitation Commission and intend to demit the office of the Chairperson with effect from May 31, 2008;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 read with sub-section (6) of Section 10 of the Delimitation Act, 2002, the Central Government hereby specifies the 1st day of June, 2008 as the date on which the Delimitation Commission shall cease to exist :

Provided that all cases and legal proceedings in respect of delimitation matters pending in any court against the Delimitation Commission shall be handled by the Election Commission of India after such cesser.

[F. No. H-11019(11)/2002-Leg.II]

T. K. VISHWANATHAN, Law Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.